

तकनीकी समिति द्वारा ब्यवहरित मानचित्र जमा कराये जाने हेतु निर्धारित चेक लिस्ट

1.	आवेदक का नाम एवं पता तथा मोबाईल नं०—	
2.	प्रस्तावित स्थल	
3.	क्षेत्रफल	
4.	मानचित्र की प्रकृति (आवासीय/अनावासीय/अन्य)	
5.	महायोजना 2021 के अर्न्तगत अनुमन्य भू-उपयोग	क्रमांक-10 के अनुसार
6.	रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानचित्र पर दर्शित है अथवा नहीं	मानचित्र पर दर्शित है।
7.	आवेदनकर्ता द्वारा दाखिल स्वामित्व सम्बन्धी विवरण	
8.	स्थल निरीक्षण हेतु मानचित्र पर की-प्लान स्पष्ट रूप से दर्शित है अथवा नहीं	दर्शित है।
9.	आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर तथा मोबाईल नं०—	अंकित है।
10.	मानचित्र भवन उपविधि 2012 एवं महायोजना 2021 के अनुरूप होने की घोषणा आर्किटेक्ट/इन्जीनियर द्वारा मानचित्र पर है अथवा नहीं?	घोषण पत्र मानचित्र पर अंकित है।
11.	देय परमिट शुल्क की धनराशि	

(स्पीड प्वाइंट लिपिक)

(अवर अभियन्ता)

BEFORE THE SECRETARY ALLAHABAD DEV. AUTHORITY, ALLD.

Affidavit of age
near about Years.

I/We do here by solemnly affirm and declere as under:

1. That I/We have submitted Proposed Group Housing Plan Of and alsofor sanction (Vide Letter And Date) .
2. That the land held by me including my Husband/Wife and minor children in any of the urban land (Ceiling and regulation act 1976) is within the ceiling limit on vacant land imposed by said act is detailed here above.
3. That in the event on the aforesaid Plot/House of land being declared excess by the competent authority under the urban land (ceiling and regulation) act 1976, I/We shall abide by the aforesaid Plot/House.
4. That I/We have fully acquainted my self with the provision of the urban land (ceiling and regulation) act 1976, and the building plan submitted by me does not violate the provisions of the said act.

DEPONENT

INDEMNITY BOND

This Deed of Indemnity is made this ----- Year 2016,
.....
.....

WHEREAS I/We am/are the submitted Proposed Group Housing Plan Of
..... and
also Total
Area Sqm.

AND WHEREAS I submitted the Proposed Group Housing Plan over the
said Plot of land for sanction with Allahabad Development Authority (Vide Letter
No Dated) as required by sanction 14/15 of the
U.P. Urban Planning and Development Act 1973.

AND WHEREAS for sanctioning of the building plan I had given and
undertaking in the form of an affidavit (Copy Enclosed) to the Allahabad
Development Authority.

::2::

AND WHEREAS the Allahabad Development Authority has agreed to sanction the building plan on the aforesaid undertaking. NOW THIS DEED WITNESS that in pursuance of aforesaid affidavit and in consideration of Allahabad Development Authority having agreed to sanction the building plan submitted (Vide my application dated) in respect of aforesaid no. and referred to above.

I/We, hereby undertake to indemnify and keep harmless the Allahabad Development Authority from all proceedings in courts and before other Authorities including the competent Authority and other Authority in a appointed under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act 1976 all expenses/house claims which the Allahabad Development Authority to the building plan referred to above

I further state that I and my successors interest shall abide by the aforesaid terms and conditions on this deed of indemnity.

DEPONENT

शपथ पत्र

समक्ष,

सचिव,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

मैं शपथकर्ता

..... निम्नवत् शपथ पूर्वक बयान करता हूँ :-

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सही है एवं समूह आवास मानचित्र हेतु आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों से मैं भली भँति परिचित हूँ।
2. यह कि
..... जो प्राधिकरण के
..... परिसर के स्वामी का है तथा
..... के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. इस सम्पत्ति का भू-स्वामी का है तथा स्थल पर कम्पनी का भौतिक कब्जा भी है। स्वामित्व से सम्बन्धित कोई वाद किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही किसी न्यायालय से स्थगनादेश पारित है।
4. यह कि भू-स्वामित्व तथा कब्जा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा, अन्यथा किसी विवाद की स्थिति में मानचित्र निरस्त किया जाना मान्य होगा।
5. यह कि आवेदित समूह आवास भवन मानचित्र वर्तमान में प्रवृत्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि महायोजना तथा एन0बी0सी0 में निहित प्राविधानो के अनुरूप होने के कारण अनुमन्य है।
6. यह कि समूह आवास भवन मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित अर्ह वास्तुविद/इन्जीनियर/मानचित्रकार द्वारा ही बनवाया गया है।
7. यह कि इस भवन का निर्माण इ0वि0प्रा0, इलाहाबाद के पंजीकृत सुपरवाइजर/ तकनीकी संस्था के पंजीकृत अभियन्ता/आर्किटेक्ट की देख-रेख में पी0डब्लू0डी0, सी0पी0डब्लू0डी0 एवं

निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराया जायेगा एवं संरचना सुरक्षा या स्पेशिफिकेशन की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। प्राधिकरण की उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. यह कि मैं समूह आवास भवन मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करेंगे और यदि प्राधिकरण द्वारा कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे ध्वस्त करने के लिये प्राधिकरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और उसके विषय में किसी न्यायालय में कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। उक्त समस्त अनधिकृत निर्माण के विषय में सम्पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त मेरे द्वारा मास्टर प्लान, जोनल प्लान, ले-आउट प्लान, Sanction Plan तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप ही निर्माण कराया जायेगा, इसके विपरीत कोई निर्माण तथा उपयोग नहीं किया जायेगा।
9. यह कि कम्पनी द्वारा ऐसा कोई निर्माण/कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे सीवर लाइन, ड्रेनेज, सड़क, यातायात, दूरसंचार, जलापूर्ति व विद्युत आदि जन सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई व्यवधान/समस्या उत्पन्न होती हो अथवा पर्यावरण को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करता हो।
10. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र के अनुसार पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल को सदैव सुरक्षित रखा जायेगा और पार्किंग प्रयोजन में ही उपयोग में लाया जायेगा। इस पर भविष्य में कोई निर्माण नहीं किया जायेगा तथा पार्किंग स्थल का इससे इतर उपयोग भी नहीं किया जायेगा।
11. यह कि भूकम्परोधी शासनादेश के अनुसार भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग इस हेतु सक्षम अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा कराया गया है तथा उसी के अनुसार ही स्थल पर निर्माण कार्य कराया जायेगा फिर भी यदि कोई क्षति/दुर्घटना होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।
12. यह कि दाखिल समूह आवास भवन मानचित्र की स्वीकृति में जो भी शुल्क देय होगा वह बहसियत डायरेक्टर, द इन्वोवेटर्स एड्स प्रा0लि0 शपथकर्ता को मान्य होगा।
13. यह कि स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण करने के उपरान्त अधिनियमों के अन्तर्गत भवन सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन में प्रवेश किया जायेगा और किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।
14. यह कि प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थायी विद्युत, जल व अन्य कनेक्शन, सम्बन्धित विभाग से, प्राप्त किये जायेंगे।
15. यह कि प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया विकास ब्यय या अन्य कोई शुल्क मॉगा जाता है, तो हम उसे अदा करेंगे।
16. जिस प्रयोजन हेतु समूह आवास भवन मानचित्र की स्वीकृति ली गयी है, इससे इतर उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि किसी समय अन्य प्रयोग में लाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय मानचित्र निरस्त किया जा सकता है। इसमें शपथकर्ता/कम्पनी को कोई आपत्ति न होगी।
उपरोक्त 1 से 16 तक कही गयी बातें शपथकर्ता की निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। इसमें न तो कुछ झूठ है न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता

प्रपत्र - क
(उपनिधि ३ देखिये)

क्रम संख्या

विकास की अनुज्ञा का आवेदन-पत्र

3454

मूल्य - दस रुपये

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

महोदय,

मैं/हम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (विकास की अनुज्ञा के आवेदन का प्रपत्र) उपनिधि 1963 के आदेशानुसार संलग्नकों और विवरण-पत्रों के अनुसार विकास के लिए अनुज्ञा के निमित्त आवेदन करता/करते हैं और अपेक्षित व्यौरों का उल्लेख करता हूँ/करते हैं, जैसा नीचे दिया गया है-

1. आवेदक/आवेदकों का/के नाम
 2. पता
 3. विकास किये जाने के लिए अभिप्रेत भूमि का विवरण
 4. उक्त भूमि की सीमा का विवरण
 5. सजरा सं०/मुखण्ड सं०/कालोनी/मुहल्ला का नाम
 6. महसुलाना के भवन उपनिधि के अनुसार निर्णय हेतु उपयुक्त है
 7. संलग्न नक्शों और विवरण-पत्रों का व्यौरा
(क) नक्शा (तीन/चार प्रतियों में)
 - (ख) विवरण पत्र
 - (ग) वास्तुविद्/नगर नियोजन अभियन्ता/सर्वेक्षक/नक्शा नवीस का प्रमाण-पत्र ।
(घ) उपविधि द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज ।
- अतएव मैं/हम आपसे आवेदित अनुज्ञा देने के लिये अनुरोध करता हूँ/करते हैं।
वास्तुविद्/नगर नियोजन अभियन्ता/सर्वेक्षक/नक्शा नवीस का हस्ताक्षर ।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

आवेदक श्री/श्रीमती

आवेदन पत्र क्रमांक

आज दिनांक

को प्राप्त किया ।

से विकास अनुज्ञा का

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता लिपिक

आई नं०